नईदुनिया

संपादकीय

हेमंत सोरेन गिरफ्तार

आखिरकार *जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। वे करीब छह महीने से पूछताछ से बचते फिर रहे थे। पूछताछ के लिए सात बार बुलाने के बाद भी वे ईडी के दफ्तर नहीं गए। ईडी ने खुद उनके दफ्तर जाकर पूछताछ की। अभी तक वे यही कह कर बचने का प्रयास कर रहे थे कि आरोपपत्र में उनका नाम नहीं है। मगर वे ईडी के सामने खुद को बेदाग साबित नहीं कर पाए। उनकी गिरफ्तारी से पहले जिस तरह उनके कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, उससे फिर यही जाहिर हुआ कि राजनेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप अब दलगत रस्साकशी का विषय बनते गए हैं। जैसे ही एजंसियां किसी नेता के खिलाफ जांच शुरू करती हैं, उसे केंद्र सरकार की साजिश करार देकर एक तरह से संबंधित व्यक्ति को पाक-साफ करार देने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। सोरेन पर सेना के स्वामित्व वाली करीब साढ़े चार एकड़ जमीन की खरीद में घोटाले और धनशोधन का आरोप है। मंगलवार को दिल्ली में उनके आवास पर हुई छापेमारी में छत्तीस लाख रुपए नगद और एक महंगी बेनामी गाड़ी भी बरामद की गई थी। इस कार्रवाई के बाद सोरेन ने अपने विधायकों की बैठक बुला कर सरकार बचाने की रणनीति बनाने में जुट गए। रांची में ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करते रहे और उनके कार्यकर्ता उनके घर के बाहर प्रदर्शन करते रहे। यह कोई पहला मामला नहीं है, जब किसी नेता से पूछताछ के समय इस तरह शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक नाटक किया गया। इस तरह अब आम लोगों में भी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सियासी रंग भर दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में नकार भाव पैदा करने में मुश्किलें पेश आती हैं। इस मामले में जांच के बाद चौदह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी और एक राजस्व उपायुक्त भी शामिल हैं। किसी बेबुनियाद आरोप पर इतने लोगों की गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती। अगर वे सचमुच बेदाग हैं, तो उनसे अपने पक्ष में सफाई पेश करने की उम्मीद की जाती थी। यह ठीक है कि कुछ मामलों में जांच एजंसियों के कामकाज के तरीके पर भी सवाल उठते रहे हैं, मगर इस आधार पर किसी को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाव का रास्ता नहीं मिल जाता।*

खड़गे का बयान और कांग्रेस की हताशा

राजनीति

-आशीष वशिष्ठ

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 29 जनवरी को भुवनेश्वर में थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा- '2024 लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका होगा। अगर इस चुनाव में भाजपा जीती तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होने देंगे। वे एक तानाशाह की तरह इस पर रोक लगाएंगे।' कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से देश की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी की हताशा, निराशा और पराजय स्पष्ट झलकती है। कांग्रेस अध्यक्ष जब यह कहते हैं कि मोदी दोबारा सत्ता में आए तो कोई चुनाव नहीं होगा। आपके पास मतदान का आखिरी मौका है। ऐसा बयान देते समय शायद खड़गे अपनी ही पार्टी का चरित्र, आचरण, कृत्य और इतिहास भूल जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लगभग छह दशक कांग्रेस ने देश की सत्ता को संभाला। इस कालावधि में उसने लोकतंत्र को कमजोर और कलंकित करने के एक नहीं कई काम किये। कांग्रेस सरकार की तानाशाही रवैये और व्यवहार के किस्सों की भी कोई कमी नहीं है।

कांग्रेस ने 25 जून, 1975 को देश को इमरजेंसी के दलदल में धकेल दिया। इस दौरान कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। रातों रात लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। कांग्रेस ने न सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं बल्कि सच के साथ खड़े पत्रकारों का भी दमन किया। विरोध की आवाज को दबाने के लिए पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। बड़े मीडिया संस्थानों तक के संपादकों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उन पर पाबंदियां लगाई जा रही थीं। अलोकतांत्रिक रूप से बाबा साहब के संविधान में संशोधन किया गया। कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं को भी कमजोर किया।

खड़गे को याद करना चाहिए कि, मीसा कानून कौन लेकर आया था मीसा में आपातकाल के दौरान कई संशोधन किए गए और इंदिरा गांधी की निरंकुश सरकार ने इसके जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का काम किया। इंदिरा सरकार की अमानवीयता का आलम यह था कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में नसबंदी से इनकार करने वाले लोगों पर अत्याचार किया गया। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे गए। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की बातें करने वाली कांग्रेस को उनके विचारों से भी डर लगने लगा था। उस समय इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया था। आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस के काले कारनामों के बारे में जानकर हर कोई सन्न रह जाता है। केंद्र में विपक्ष में बैठी कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है। लेकिन उसके शासित राज्यों में जिस तरह विपक्ष और मीडिया का दमन किया जाता है, उससे कहा जाता है कि समय बदल गया है, लेकिन कांग्रेस की आपातकालीन मानसिकता नहीं बदली है, वो आज भी जारी है।

लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेस के नेता शायद भूल गए कि राजीव गांधी के जमाने में एक अखबार ने कुछ खिलाफ लिखा, तो उनके विरुद्ध ही मामला दर्ज कर दिया गया और संस्थान की बिजली तक काट दी गई थी। टेलीग्राफ एक्ट कौन लेकर आया था... राजीव गांधी के जमाने में ही टेलीग्राफ एक्ट आया था, जिसके तहत सरकार आम लोगों के पत्र पढ़ सकती थी और कार्रवाई कर सकती थी। पीवी नरसिंहाराव ने पैसे देकर सरकार बनाई, कोर्ट में साबित हो गया था। लोकसभा का कार्यकाल इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था। जब कांग्रेस नेता 'इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इस इंडिया' का नारा लगाते थे तो क्या उन्हें इस नारे में तानाशाही की बू नहीं आती थी अनुच्छेद 356 का कांग्रेस ने किस तरीके से उपयोग किया है, ये काफी दिलचस्प है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए 91 बार गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाने का काम किया। पिछले दस सालों में मोदी सरकार ने एक बार भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया।

बीते पांच छह सालों में कांग्रेस शासित राज्यों में तानाशाही की वारदात और करतूतें देशवासियों को याद हैं। राहुल गांधी की आलोचना करने पर कॉलेज के प्रोफेसर को बर्खास्त किया गया। राजीव गांधी के बारे में लिखने पर युवा भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। राहुल गांधी ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। सोनिया गांधी का बचपन का नाम लेने पर पत्रकार अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर उत्पीड़न किया गया। राहुल गांधी ने वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया। सोनिया और राहुल गांधी पर विज्ञापन देने वाली कांपनी के दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस अपने इन कर्मों को किस श्रेणी में रखेगी इंडी गठबंधन जिसमें कांग्रेस प्रमुख घटक दल है, ने 2023 में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उन 14 टीवी एंकरों की एक सूची जारी की है, जिनके प्रोग्राम में उनका प्रतिनिधि नहीं जाएगा। ये जगजाहिर है कि टीवी एंकरों का बहिष्कार करने के पीछे पूरी रणनीति कांग्रेस की थी। गैर भाजपाशासित राज्यों में विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेताओं-कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और आम जनता के साथ सरकारी तंत्र जिस तानाशाही रवैये से पेश आ रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के अलावा कई अन्य दल भी मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप जड़ते हैं। लेकिन उनके पास एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जिससे वो साबित कर सकें कि मोदी सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया है, जो तानाशाही की श्रेणी में आता है। या जिससे लोकतंत्र का गला घुटा हो। मोदी सरकार के हर निर्णय पर विपक्ष को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, या फिर लोकतंत्र खतरे में है। वास्तव में उन्हें विरोध के लिए विरोध करना है। उनके हाथ में न कोई मुद्दा है और न ही जनसमर्थन और जनविश्वास उनके साथ है।

इसमें कोई दोराय नहीं है कि सामान्य आंतरिक आलोचना विरोध भले ही हो, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे सम्पन्न शक्तिशाली देश भारत के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना कर अंतरराष्ट्रीय शांति तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मान रहे हैं। चीन तक ने भारत की आर्थिक शक्ति को स्वीकारा है। इसका एक बड़ा कारण भारत में सरकार का स्थायित्व और बढ़ती जागरुकता, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक ताकत है। राजनीतिक विरोध का स्तर इतना गिर चुका है कि संविधान की शपथ लिए हुए कुछ नेता सड़क पर धरना-आंदोलन और संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के जरिये जनमत संग्रह तक की शर्मनाक मांग करने लगे हैं दुनिया के किस देश में राज्यों में बैठे सत्ताधारी क्या इस हद तक अपनी ही राष्ट्रीय सरकार और नीतियों का विरोध करते हैं कभी अपनी सेना को पेंशन के लिए भड़काते हैं, तो कभी सीमा पर उनकी क्षमता पर संदेह कर चीन के भारतीय सीमा में घुसी होने के आरोप लगाते हैं।

दिल्ली की सुनहरी पर बवाल क्यों

नजरिया

-अदिति सिंह

भारत में विकास के कार्यों में कानूनी पेचीदगियां, धार्मिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है। वैसे भी विपक्ष और कुछ वर्ग विशेष के नुमाइंदों ने सरकार के प्रत्येक विकास के कार्य को सांप्रदायिक और सियासी मुद्दा बनाने की कुत्सित मानसिकता बना ली है। हाल ही में हमने नये संसद भवन के उद्घाटन, पवित्र सेंगोल और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे प्रकरणों में कई कुतर्कों और दुर्भावनाओं के विष वमन को झेला है। यही संकीर्ण मानसिक प्रवृत्ति अन्य छोटे-बड़े विकास कार्यों को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती रहती है।

दिल्ली में एक सुनहरी मस्जिद है। यह लुटियन जोन में सड़क के बीचों-बीच गोल चक्कर में स्थित है। कभी इस गोल चक्कर को 'हकीम जी का बाग' भी कहा जाता था। इस छोटे से बाग में सुनहरी मस्जिद खड़ी है। इसके चारों तरफ दिन-रात ट्रैफिक चलता है। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुनहरी मस्जिद को हटाना चाहती है। एनडीएमसी के चीफ आर्किटेक्ट ने हाल ही में दिए एक विज्ञापन में जनता से इस मस्जिद को हटाने के संबंध में अपने सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। जैसे ही ये विज्ञापन आया मानो कोई भूचाल आ गया हो। राजनेताओं से लेकर मौलानाओं ने इस मस्जिद को हटाने का विरोध किया। इसके विरोध में दिल्ली उच्च न्यायालय में दो याचिका भी दायर हुईं।

एक याचिका में तो इसे दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने होने का दावा भी किया है, जबकि एनडीएमसी ने हलफनामा देकर कहा है कि ये एनडीएमसी की जमीन है। सोशल मीडिया पर भी इसका हर तरह से विरोध किया जा रहा है। हैरत की बात है कि हर कोई जानता है कि इस मस्जिद की वजह से अकसर वहां ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है और जुमे के दिन यहां नमाजियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। लेकिन इसे एक सांप्रदायिक मुद्दा बनाया जा रहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब किसी एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किया जा रहा है। जबकि सच तो यह है की पिछले पांच साल में इसी वर्तमान सरकार ने विकास कार्यों के लिए अनगिनत मंदिरों को तोड़ कर सड़कें चौड़ी करवाईं और निर्माण कार्य करवाए जिससे ट्रैफिक की समस्या में लाभ भी हुआ। लेकिन ये सब न इतनी प्रमुखता से मीडिया में आता और न ही यह सब कभी विस्तृत चर्चा का विषय बनता है । शायद मंदिरों को तोड़ कर ट्रैफिक की समस्या का हल निकालने को सकारात्मक रूप से देखा जाता है और जबकि यह बात दूसरी ओर लागू नहीं होती।

इस मस्जिद को दिल्ली सरकार की 2009 की अधिसूचना के अनुसार ग्रेड- थर्ड विरासत भवन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपको यह जान कर अचरज होगा की 2009 की अधिसूचना के तहत, विरासत संरक्षण समिति की सलाह पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने 141 विरासत स्थलों को शामिल किया था। अचरज वाली बात यह है कि 141 स्थलों में से 51 मस्जिदें और मकबरे हैं और केवल दो मंदिर हैं, जिन्हें विरासत स्थलों में शामिल किया है। अगर आप दिल्ली एकीकृत भवन निर्माण उपविधि 2016, के अनुलग्नक - द्यद्य में क्लॉज 1.5 को पढ़ें तो साफ समझ आता है की इन स्थलों को विरासत स्थलों की सूची में सुझाव देने से लेकर स्थान देने तक का जिम्मा सरकार का है।

इस सूची को तैयार करके जून 2005 में सार्वजनिक किया गया था, जब यहां कांग्रेस की तथाकथित पंथनिरपेक्ष सरकार थी। उसके बाद अक्टूबर 2009 में ये सब स्थल इस सूची में शामिल किए गए। अब प्रश्न यह है की 2009 में जब ये सूची तैयार की गई तब केवल एक समुदाय के स्थलों के प्रति इतना झुकाव क्यों माना दिल्ली में 12वीं शताब्दी से मुसलमान शासकों का राज रहा है। पहले दिल्ली सल्तनत और फिर उसके बाद मुगल परंतु दिल्ली का इतिहास इससे भी पुराना है। दिल्ली पांडवों, मौर्यों, तोमरों और चौहानों के अधीन रही है। क्या इसकी सांस्कृतिक विरासत में केवल मस्जिद और मकबरे ही आते हैं और न के बराबर मंदिर क्या इसके अलावा इसका कोई इतिहास नहीं या उसको खोजने से या इन सूचियों में स्थान देने से आप ये न भूल जाएं कि दिल्ली के इतिहास का अर्थ है केवल मुसलमान शासकों का शासन। दिल्ली का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो छवि बनती है वो यही तो बनती है। इसका कारण यह है हमें इतिहास में पढ़ाया ही यही गया है। इसे मनोविज्ञान में इंडॉक्ट्रिनेशन कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बदला जाता है। रोमिला थापर जैसे इतिहासकार इसी इंडॉक्ट्रिनेशन के सहारे भारत के लोगों के दिमाग को भरमाते है। हम लोग बिना इस बात का विश्लेषण किए कि हमें ऐसा इतिहास या कहानी क्यूं सुनाई जा रही हैं , इसी को सच मान लेते है। ये भूल जाते हैं कि इस कहानी के पीछे की क्या राजनीति है। इन्हीं कहानियों ने देश के युवा को भरमाया है । उसे अपनी संस्कृति और धर्म से दूर किया है।

यह सर्वविदित है कि पूर्व की तथाकथित पंथनिरपेक्ष सरकारों ने एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए , कई कानूनी दांव-पेंच खेले हैं और यह उनके कई कार्यों में दिखाई देता है, जैसे कि सांस्कृतिक विरासत की सूची, कम्युनल वायलेंस बिल, वक्फ बोर्ड को दिये कई अधिकार इत्यादि।

आजकल

एलन मस्क की लंबी छलांग

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कारोबारी एलन मस्क ने एक और कारनामा करके दिखाया है। उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान के दिमाग में चिप लगाई है। मस्क का ये आइडिया मानव जीवन के इतिहास में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इलेक्ट्रिक वीइकल, स्पेस ट्रैवेल से लेकर मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने जैसे अनोखे आइडिया लाने और उन पर अमल के प्रयास शुरू कर देने के लिए मशहूर इलॉन मस्क ने एक बार फिर सबको चौंकाया है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान के दिमाग में चिप लगाई और शुरुआती संकेतों के मुताबिक यह प्रयोग सफल भी रहा। यह कदम मानव जीवन में साइंस और टेक्नॉलजी की भूमिका के नए दौर की शुरुआत साबित हो सकता है। किन्हें होगा फायदा- वैसे, यह काम न्यूरालिंक से पहले दूसरी कंपनियां कर चुकी हैं। ब्लैकरॉक न्यूरोटेक नाम की कंपनी जो इस क्षेत्र में न्यूरालिंक की प्रतिद्वंद्वी है, वह पहले ही कई इंसानों के दिमाग में ऐसी चिप लगा चुकी है। खैर, न्यूरालिंक की यह पहल बड़ी है, लेकिन शुरू में इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो किसी वजह से अपने अंग गंवा चुके हैं या उनके अंग बेकार हो चुके हैं।

ऐसे मरीजों के लिए सिर्फ सोचकर फोन, कंप्यूटर या ऐसे अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करने की क्षमता वरदान साबित हो सकती है। दिमागी बीमारियों में उपयोगी = थोड़ा आगे की बात करें तो इससे उन लोगों को भी फायदा हो सकता है, जिनके शारीरिक अंग तो दुरुस्त हैं, लेकिन दिमागी बीमारियों की वजह से वे उन्हें ठीक से काम में नहीं ला पाते। उदाहरण के लिए अलजाइमर, पार्किंसन ही नहीं, डिप्रेशन और यहां तक कि अडिक्शन के मामलों में भी यह चिप उपयोगी साबित हो सकती है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि बीमारियों का इलाज इस प्रयोग का सिर्फ एक पहलू है। मस्क ही नहीं, इस प्रयोग पर काम कर रहे अन्य लोगों का भी ध्यान वास्तव में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जरिए इंसानी दिमाग की क्षमता बढ़ाने पर रहा है। तो आज नहीं तो कल बात उस तरफ जाएगी। यह विचार काफी लुभावना है कि दिमाग में एक चिप के जरिए दुनिया भर की जानकारी डाउनलोड कर इंसान बेतहाशा सूचनाओं को स्टोर करने की क्षमता बढ़ा ले। लेकिन इसमें खतरे भी कम नहीं।

सत्ता के साथ बिहार में वजूद बचाने की कवायद ...

के.एस. तोमर

कट्टर समाजवादी नेता कहे जाने वाले नीतीश कुमार नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन को अलविदा कहकर एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया है। दरअसल भाजपा को बहुत आवश्यकता थी कि नीतीश कुमार का जनता दल उसके साथ आये क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को बिहार में इसी दशा में अधिक सीटें मिल सकती थीं। विश्लेषकों का मत है कि यह जरूरी था कि भाजपा और जनता दल एक मंच पर आएं क्योंकि 2019 में इकट्ठा होकर लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद से दोनों दलों का मत प्रतिशत कम हो गया था। तब भाजपा और जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इन दलों को क्रमशः 23.58 और 21.81 प्रतिशत मत मिले थे जो 2020 के विधानसभा चुनावों के समय घटकर 19.46 और 15.39 प्रतिशत रह गए थे। शायद यही प्रमुख कारण था कि दोनों दलों ने प्रासंगिक रहने और सत्ता मे फिर लौटने के लिए यह समझौता किया है।

आकलन है कि नीतीश कुमार द्वारा इंडिया गठबंधन से अलग होने से बिहार की राजनीति पर गम्भीर परिणाम सामने आयेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा, जनता दल (यू) और एलजेपी का गठबंधन मजबूत है। जहां भाजपा और जनता दल का वोट शेयर 45.39 प्रतिशत बनता है, वहीं एलजेपी के 8 प्रतिशत मतों से यह 53.39 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाता है। इसके मुकाबले वाले विपक्षी गठबंधन में आरजेडी के 23.11 और कांग्रेस के 9.48 प्रतिशत मतों को मिलाएं तो वह जीत से बहुत दूर हो जाता है। इसका असर इंडिया गठबंधन पर पड़ना तय है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सभी 17 सीटों पर और जनता दल ने 17 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा गठबंधन के तीसरे दल एलजेपी ने 6 सीटें जीती थीं। इस तरह गठबंधन ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर परचम लहराया था। इसका सीधा लाभ भाजपा को मिला था। हालांकि मौजूदा हालात में नीतीश कुमार को भी लाभ मिलना तय है। नए गठबंधन के कारण 2025 के विधानसभा चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त होगा।

माना जाता है कि गठबंधन में लालू परिवार के कारण नीतीश स्वयं को असहज महसूस कर रहे थे। लालू परिवार के विरुद्ध ईडी की कई मामलों में जांच चल रही है और भ्रष्टाचार के आरोपों की आंच नीतीश कुमार तक भी पहुंच सकती थी। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में ऐसी सम्भावनाएं थीं। नये समझौते के बाद नीतीश कुमार पर ईडी का खतरा टल गया माना जा रहा है।

नीतीश के पाला बदलने के साथ ख़बरें ये भी थीं कि जनता दल के 6 सांसद भाजपा के संपर्क में थे और 2024 के लोकसभा चुनावों से ऐन पहले उनका साथ छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा था कि राम मन्दिर निर्माण के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता में हुई बढ़ोतरी के कारण इन सांसदों की जीत संशय में थी। वहीं जनता दल के सांसदों का मानना था कि विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए मतदाताओं का नजरिया अलग होता है। वर्ष 2024 में फ़िर एनडीए मजबूत स्थिति में होगी जबकि इंडिया गठबंधन की स्थिति इतनी सुखद नहीं है क्योंकि ये दल अभी सीटों को लेकर भी तालमेल नहीं कर पाए और न ही प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही एकमात्र दल है जिसकी समूचे भारत में मौजूदगी है। ऐसे में कांग्रेस की ही जिम्मेदारी थी कि गठबंधन को मजबूती प्रदान करती और सीटों का बंटवारा समय रहते फाइनल हो जाता। कांग्रेस इस दायित्व को निभाने में असफल रही है। एक ओर जहां नीतीश कुमार गठबंधन का साथ छोड़ गए, वहीं अब तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपना अलग रास्ता ढूंढ़ रहे हैं। सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को मूर्तरूप देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले एक साल के दौरान कड़ी मेहनत की और क्षेत्रीय नेताओं से बार-बार मिलकर उन्हें एक मंच पर लाये। उनके प्रयासों के कारण ही पटना मे आयोजित 23 जून, 2023 की पहली बैठक सफल रही। लेकिन सब तय होने के बाद जब संयोजक चुनने का समय आया तो ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम पेश कर दिया और केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। नीतीश को रोकने की उनकी रणनीति सफल भी रही बेशक यह निर्णय गठबंधन के लिए 2024 के चुनावों में घातक सिद्ध हो।

यद्यपि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के वर्तमान हाल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अंदरखाने यह चर्चा भी है कि स्थिति बिगाड़ने में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी की भूमिका भी रही है। उनके कारण बिहार में परिस्थितियां बदलीं उसका असर इंडिया गठबंधन पर पड़ना स्वाभाविक था। पिता-पुत्र की जोड़ी जल्द से जल्द बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राजद का वर्चस्व चाहते थे। बताते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता दल(यू) में तोड़फोड़ की कोशिश शुरू कर दी गई थी। इससे नाराज नीतीश कुमार ने भाजपा से समझौता पक्का कर लिया।